The Prisoners (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2012

Act 22 of 2012

Keyword(s):
Prisoner, Prisoners Act, Jail, prison

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 मई 2012—वैशाख 12, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2012

क्र. 2438-173-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१२

बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक २६ अप्रैल, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ०२ मई, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, १९०० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०० का ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, १९०० (१९०० का ३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३१-क का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३१-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "इक्कीस" के स्थान पर, शब्द "बयालीस" स्थापित किया जाए;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द "दो" के स्थान पर, शब्द "तीन" स्थापित किया जाए और शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "चौदह" स्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनांक 02 मई 2012

क्र. 2439-173-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 22 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 22 OF 2012

THE PRISONERS (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2012

[Received the assent of the Governor on the 26th April, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 2nd May, 2012.]

An Act further to amend the Prisoners Act, 1900 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Prisoners (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2012.

Amendment of Central Act No. 3 of 1900 in its application to the State of Madhya Pradesh. 2. The Prisoners Act, 1900 (No. 3 of 1900) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall, in its application to the State of Madhya Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 31-A. 3. In Section 31-A of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "twenty one", the words "forty two" shall be substituted;

(ii) in sub-section (3), for the word "two", the word "three" shall be substituted and for the word "ten", the word "fourteen" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.